महत्वपूर्ण एवं खास

एसबीआई बैंक हेतु केवल भूतपूर्व सैनिकों से 5 अक्टूबर तक आनलाइन आवेदन आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़ । भारतीय स्टेट बैंक ने आर्म्स पद के लिए भी केवल भूतपूर्व सैनिकों, पूर्व सीएपीएफ, एआर से और कंट्रोल रूम ऑपरेटर के लिए केवल भूतपूर्व सैनिक, राज्य अग्निशमन सेवा कार्मिक, पूर्व सीएपीएफ और एआर के भारतीय नागरिकों से इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 अक्टूबर 2023 तक आमंत्रित किया है। वेबसाइट बैंक डॉट एसबीआई/कैरियर्स या एसबीआई डॉट सीओ डॉट इन कैरियर्स करेंट ओपनिंग से इस भर्ती विज्ञापन की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इन पदों के लिए नवंबर या दिसंबर 2023 में लिखित परीक्षा का आयोजन संभावित है।

निर्वाचन के संबंध में बैंक अधिकारियों का बैठक संपन्न

सारंगढ़ बिलाईगढ़ । उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश भारद्वाज ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले के बैंक अधिकारियों का बैठक लिया। भारद्वाज ने बैंक अधिकारियों को कहा कि निर्वाचन के दौरान राजनीतिक दल के अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन फार्म में दिए गए अपने सभी बैंक खाता का नंबर, यदि नया खाता खोलता है तो उसे, अपने जीवन साथी, अन्य करीबी रिश्तेदारों, उसके एजेंट आदि के बैंक खातों का भी विवरण सहायक व्यय प्रेक्षक को उपलब्ध कराना है। अभ्यर्थी की व्यय सीमा 40 लाख रुपए निश्चित है। इस अवसर पर जिले के सभी बैंक अधिकारी और निर्वाचन के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

निर्वाचन के दौरान कार्यों के लिए प्रिंटिंग प्रेस संचालकों का बैठक संपन्न

सारंगढ़ बिलाईगढ़ । उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश भारद्वाज ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले के प्रिंटिंग प्रेस संचालकों का बैठक लिया। भारद्वाज ने कहा कि निर्वाचन के दौरान राजनीतिक दल के अभ्यर्थियों के प्रचार सामग्री बैनर, पोस्टर आदि में प्रकाशक एवं मुद्रण संख्या अनिवार्य अंकित करना है। निर्वाचन के मीडिया प्रमाण एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) के प्रमाण पत्र के बिना कोई भी विज्ञापन प्रकाशन नहीं होगा किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध आपत्तिजनक, अश्लील, अमर्यादित किसी प्रकार का बैनर या पोस्टर तैयार नहीं करना है। प्रत्येक पेपर प्रिंटिंग प्रेस संचालक को अभ्यर्थी से दो प्रति में घोषणा पत्र लेना है कि वह इस प्रकाशन का खर्चा अभर्थी अपने निर्वाचन व्यय में सम्मिलित करेगा। इसी प्रकार भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता के विपरीत किसी भी प्रकार का प्रकाशन नहीं करना है।

नक्सली कैम्प ध्वस्त : डीआरजी और छसबल की संयुक्त कार्यवाई; कई सामान बरामद

बीजापुर (आरएनएस)। जिले के मिरतुर थाना क्षेत्र मदपाल के जंगलों में नक्सलियों के कैम्प को पुलिस की संयुक्त पार्टी ने ध्वस्त कर दिया है। वहां से नक्सलियों के कई सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस को सूचना मिली थी कि भैरमगढ़ ब्लाक के मिरतुर थाना क्षेत्र के कुडमेर और मदपाल के जंगलों में भैरमगढ़ एरिया कमेटी की सचिव सुमित्रा और एसीएम शंकर कारम सहित 10 -15 सशस्त्र नक्सलियों की मौजूदगी है। जिसके बाद डीआरजी और 19/ए वी वाहिनी छसबल बेचापाल की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली। अभियान के दौरान सुबह 7 बजे मदपाल के जंगलों में पुलिस की संयुक्त पार्टी द्वारा नक्सली कैम्प ध्वस्त किया गया। नक्सली पुलिस की उपस्थिति को देख भाग निकले। मौके से पुलिस ने डेटोनेटर, टूल्स, नक्सली वर्दी, पि_ नक्सली साहित्य, दवाइयां और रोजमर्रा के सामान कैम्प से बरामद किये हैं।

दो युवक 1728 नशीले कैप्सूलों के साथ पकड़े

रायपुर (आरएनएस)। रायपुर पुलिस ने दो युवकों को 1728 नशीले कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।रायपुर थानाध्यक्ष रायपुर कुंदन राम ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। 29 सितंबर को पुलिस को क्षेत्र में नशीले कैप्सूलों की तस्करी की सूचना मिली थी। इसपर पुलिस ने चैकिंग करते हुए आरोपी दलीप कुमार पुत्र छोटेलाल सिंह निवासी अंबेडकर कॉलोनी डीएल रोड देहरादून को नालापानी चौक से 840 ट्रामाडोल कैप्सूल के साथ पकड़ा। वहीं, गौतम पुत्र मसीह चरण निवासी ऋषि नगर थाना रायपुर को 888 ट्रामाडोल कैप्सूल के साथ ऋषिनगर पुल से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों की स्कूटी सीज की गई है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कुंदन राम ने बताया कि आरोप आपस में दोस्त हैं। गौतम सहारनपुर से नशीले कैप्सूलों को सस्ते दामों पर खरीदकर अपने दोस्त दिलीप के साथ मिलकर नशे के आदी व्यक्तियों को ऊंचे दामों में बेचता है।

रायगढ़ की धन्वंतरी जेनेरिक दवा दुकान बिक्री में पूरे प्रदेश में शीर्ष पर : अब तक लोगों को 6 करोड़ 43 लाख की हुई बचत

- धन्वंतरी दवा दुकान की सस्ती दवाइयों से लोगों को मिल रही बड़ी राहत
- 8 करोड़ 66 लाख रुपए की दवाइयां मिली 2 करोड़ 22 लाख में

रायगढ़। आमजनों को दवाईयों में होने वाले खर्च को कम करने और रियायती दर पर दवाईयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य शासन द्वारा प्रदेशभर में धन्वंतरी जेनेरिक दवा दुकान खोली गयी है। जहां 70 प्रतिशत तक दवाइयां छूट के साथ उपलब्ध हैं। नगर निगम रायगढ़ अंतर्गत लोगों ने रियायती दर पर दवाईयों का लाभ लेते हुए अब तक 6 करोड़ 43 लाख रुपए से अधिक की राशि की बचत की है। शहर की धन्वंतरी दवा दुकान जनसंख्या के लिहाज से बिक्री के मामले में पूरे प्रदेश में शीर्ष पर है। योजना की शुरुआत से अब तक करीब 1.59 लाख लोगों ने यहां से सस्ती दरों पर दवाइयां खरीदी हैं।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता में रखते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सी जनहितैषी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिसमें धन्वंतरी जेनेरिक दवा दुकान योजना भी शामिल हैं। जहां लोगों को बहुत ही कम दाम पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध हैं। जिससे दवाइयों में होने वाले खर्च काफी कम कर दिया हैं।

रायगढ़ निगम क्षेत्र की धन्वंतरी दवा दुकानों से एमआरपी के हिसाब से देखें तो लगभग 8 करोड़ 66 लाख 6हजार 866 रुपए की दवाइयों की बिक्री हुई है। जो 70 प्रतिशत छूट के साथ 2 करोड़ 22 लाख 67 हजार रुपए की पड़ी और लोगों के 6 करोड़ 43 लाख 40 हजार रुपये की बचत हुई है।

रायगढ़ नगर निगम के अंतर्गत अशर्फी देवी चिकित्सालय में स्थित धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोला गया है, जिसका लोगों के बीच अच्छा प्रतिसाद मिल रहा हैं। यहां योजना के प्रारंभ से अब तक एमआरपी के हिसाब 7 करोड़ 82 लाख 73 हजार 202 रुपए की दवाइयों की बिक्री हुई हैं, जो छूट के पश्चात 2 करोड़ 92 हजार 952 रुपए पड़ी। जिससे 1 लाख 32 हजार 36 लोगों को कुल 5 करोड़ 81 लाख 80 हजार 250 रुपए का लाभ मिला।

इसी प्रकार जिला चिकित्सालय में भी कुछ दिनों पहले सस्ती दवा दुकान खोला गया है। यहां योजना के प्रारंभ से अब तक एमआरपी के हिसाब 83 लाख 33हजार 664 रुपए की दवाइयों की बिक्री हुई हैं, जो छूट के पश्चात 21 लाख 74 हजार 166 रुपए की पड़ी। जिससे 61 लाख 59 हजार 548 रुपए की बचत हुई। इस तरह दोनों दुकानों से कुल 1 लाख 59 हजार लोगों को कुल 6 करोड़ 43 लाख 40 हजार रुपए का लाभ मिला। धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर में सर्दी, खांसी, बुखार, बीपी, शुगर, एंटीबायोटिक के साथ गंभीर बीमारियों की दवा के साथ 30 कंपनी के 300 से अधिक जेनेरिक दवाइयां सस्ती दरों पर मिलती हैं। इसके अलावा यहां सर्जिकल आइटम्स भी रियायती दरों पर मिलते हैं।

धन्वंतरी दवा दुकान महंगी दवाइयों के बीच दे रही राहत- रायगढ़ पैलेस रोड निवासी सतीश सराफ ने बताया कि धन्वंतरी दवा दुकान में अन्य दवा दुकानों के अपेक्षा कम कीमत में दवाईयां मिलती है। यहां कीमतें काफी कम हैं जिससे बड़ा फायदा हो रहा है। मैं पिछले 6 माह से धन्वंतरी मेडिकल से दवा खरीद रहा हूं। जिससे मुझे कम कीमत में दवाई तो मिल ही रही है वहीं पैसे की भी बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना से इलाज में लगने वाले खर्च में कमी आ रही है। जिसका उपयोग अन्य कामों में कर पा रहे हैं। उन्होंने योजना को शासन की जनहितैषी पहल बताते हुए कहा कि दवा की महंगी कीमतों के बीच यहां मिल रही छूट राहत दिलाने वाली हैं। टीवी टॉवर रोड रायगढ़ निवासी परशुराम अग्रवाल ने बताया कि इलाज के दौरान दवाओं में काफी खर्च होता है लेकिन आज शासन की योजना से यहां यहां दवाई में 70 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। यह योजना लोगों के लिए इलाज में आने वाली खर्च के बीच बहुत राहत वाली बात है।

दरवाजे का कुंदा खोलकर 8 एलईडी लाइट और स्पीकर की चोरी, आरोपी को चौकी खरसिया पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

रायगढ़। दिनांक 02.10.2023 के दोपहर पुलिस चौकी खरसिया में ग्राम मौहापाली में रहने वाले दूजे राम राठिया पिता रेशम लाल राठिया उम्र 35 वर्ष द्वारा लिखित आवेदन देकर उसके घर से 08 नग एलईडी लाइट और 15 इंच का स्पीकर चोरी होने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराया, जिसने बताया कि 28 सितंबर की रात्रि घर पर खाना खाकर सोया हुआ था, सुबह जब उठा तो देखा घर में रखे 8 नग एलईडी लाइट और 15 इंच का स्पीकर नहीं था, किसी अज्ञात चोर ने घर के पीछे का दरवाजा कुंदा खोलकर सामानों की चोरी कर ले गया था जिसे अपने स्तर पर पता कर रहा था। तब गांव के कौशल पटेल उर्फ गब्बर नाम के युवक के चोरी करने संबंध में जानकारी मिली। पुलिस चौकी खरसिया में नकबजनी का अपराध (धारा 457,380 आईपीसी) दर्ज कर चौकी प्रभारी खरसिया उप निरीक्षक मनीष कांत सिंह द्वारा संदेही कौशल पटेल उर्फ गब्बर को तत्काल हिरासत में लेकर चोरी के संबंध में हिकम्त अमली से पूछताछ किया गया। आरोपी - कौशल पटेल उर्फ गब्बर पिता रामचरण पटेल उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम मौहापाली खरसिया द्वारा चोरी करना स्वीकार किया जिसके मेमोरंडम पर 08 नग एलईडी लाइट, 15 इंच का स्पीकर जुमला कीमती लगभग ₹25,000 की मशरूका की जप्त कर आरोपी को नकबजनी के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

अपहरण, हत्या के प्रयास और बलवा मामले के फरार दो और आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

रायगढ़। सत्तीगुड़ी चौक पर 29 सितंबर की रात एक युवक के साथ हुई मारपीट घटना में शामिल रहे दो और आरोपी- अमन मेश्राम और प्रकाश नेताम को आज कोतवाली पुलिस ने अपहरण, हत्या के प्रयास और बलवा की गैर जामानतीय धाराओं में गिरफ्तार कर रिमांड बाद जेल वारंट दाखिल किया है। कल दिनांक 01.10.2023 को अपचारी बालक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

घटना को लेकर प्रार्थी/आहत अजय दास मानिकपुरी पिता जगत दास उम्र 23 साल निवासी कोतरारोड कल्लू पान ठेला के पास थाना कोतवाली रायगढ़ द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया की 29 सितंबर के शाम अपने मोहल्ले का गणेश विसर्जन करने विजयपुर जा रहा था जो गांधी पुतला के पास से अकेले पैदल लौटकर वापस घर आने लगा, रात्रि करीब 9:30 बजे सत्तीगुडी चौक के पास रुककर अजय अपने भाई विनोद महंत को लेने सत्तीगुडी चौक बुलाया , उसी समय सत्तीगुडी चौक पर वास्तव ठाकुर, सागर विश्वकर्मा और उसके साथियों के साथ वहां पहुंचे। वास्तव ठाकुर ने अजय दास को उसके मोटर सायकल में बैठकर साथ चलने बोला। अजय के मना करने पर सभी एक राय होकर अजय को गाली गलौज करते मारपीट कर मोटर सायकल में जबरन बिठाकर अष्टभुजी मंदिर के पास बने क्लब में ले जाकर बिज्जू ठाकुर के साथ हत्या करने की नियत से हाथ मुक्का डंडा राड से मारपीट कर चोंट पहुंचाये। आहत के रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध अपहरण, हत्या का प्रयास, बलवा की सुसंगत धाराओं में अपाध दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी किया गया। आरोपी गिरफ्तारी के डर से फरार थे। मामले में कल दिनांक 01.10.2023 के दोपहर तीन आरोपी वास्तव सिंह ठाकुर, सागर विश्वकर्मा और उसके साथी अपचारी बालक को हिरासत में लिया गया जिन्हें सक्षम न्यायालय रिमांड पर भेजा गया, आरोपी वास्तव ठाकुर और सागर विश्वकर्ता को जेल वारंट पर जेल एवं नाबालिक को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है। आज छापेमारी दौरान मुखबिर सूचना पर फरार दो आरोपी – (1) अमन मेश्राम पिता विनोद मेश्राम उम्र 20 साल निवासी कोतरारोड राजीव नगर गली नंबर 02 रायगढ़ थाना कोतवाली (2) प्रकाश नेताम पिता गणेश राम नेताम उम्र 23 साल निवासी कोतरारोड राजीव नगर गली नंबर 1 रायगढ़ थाना कोतवाली को कोतवाली पुलिस ने अपहरण, हत्या के प्रयास और बलवा की गैर जामानतीय धाराओं में गिरफ्तार कर रिमांड बाद जेल वारंट दाखिल किया है। मामले में अपचारी बालक समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, फरार अन्य आरोपियों की टीआई कोतवाली शनिप रात्रे के नेतृत्व में टीम लगातार आरोपियों के मिलने के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

अवैध फ्लाई ऐश परिवहन व निस्तारण पर लगातार कार्यवाही जारी, चालू वर्ष में सितम्बर माह तक लगाया गया 44 लाख 81 हजार का जुर्माना

- कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने विभागीय अधिकारियों को लगातार जांच व कार्यवाही के दिए हुए निर्देश
- 2 को क्लोजर डायरेक्शन और 23 उद्योगों को नोटिस किया गया जारी
- हेल्प लाईन नंबर 7987033406 पर फ्लाई ऐश के अवैध परिवहन की कर सकते है शिकायत

रायगढ़। फ्लाईऐश के समुचित व्यवस्था के बिना परिवहन व अवैध निपटान पर लगातार कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने दिए हुए है। पर्यावरण विभाग द्वारा इस संबंध में लगातार जांच व कार्यवाही की जा रही है। जानकारी देते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी अंकुर साहू ने बताया कि इस वर्ष में सितम्बर माह तक विभिन्न उद्योगों के वाहनों पर अब तक कुल 44 लाख 81 हजार 900 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। बीते एक माह में 01 सितंबर से 30 सितंबर के मध्य जांच के दौरान अवैध अपवहन एवं समुचित व्यवस्था बिना परिवहन पर कार्यवाही की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अवैध अपवहन करने वाले 01 उद्योग के 02 वाहनों पर 93 हजार 15 रूपये तथा अन्य स्थानों पर अवैध, अनियंत्रित अपवहन एवं समुचित व्यवस्था किये बिना परिवहन करने वाले 04 उद्योगों के 06 वाहनों पर 3 लाख 06 हजार 435 रूपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। इस तरह 05 उद्योगों के 08 वाहनों पर कुल 3 लाख 99 हजार 450 रूपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। साथ ही मेसर्स आर.के.एम.पॉवरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती के 02 वाहनों पर ग्राम-पतरापाली, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ में फ्लाई ऐश का अवैध डम्पिंग किये जाने के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर को नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि रायगढ़ जिले में स्थित उद्योगों में सतत रूप से जांच की कार्यवाही की जा रही है, एवं कमी पाये जाने पर उद्योगों को नोटिस एवं क्लोजर डायरेक्शन जारी किया जाता है। विगत 01 वर्ष में 23 उद्योगों को व्यवस्था सुधार हेतु नोटिस एवं 02 उद्योगों को क्लोजर डायरेक्शन जारी किया गया है साथ ही उद्योगों द्वारा जांच के दौरान प्रदूषण रोकथाम करने में असफल रहने पर विगत 01 वर्ष में 7 लाख 76 हजार 250 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है।

अवैध फ्लाईएश निस्तारण की शिकायत के लिए जारी किया गया है व्हाट्सअप हेल्प लाईन नंबर

कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर अवैध फ्लाई ऐश अवैध निस्तारण एवं समुचित व्यवस्था किये बिना परिवहन की शिकायत के लिए फ्लाई ऐश व्हाट्सअप हेल्प लाईन नंबर 7987033406 जारी किया गया है। जिस पर भेजे गये अवैध डम्पिंग एवं परिवहन की शिकायत प्राप्ति पर मंडल द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाती है। फ्लाई ऐश व्हाट्सअप हेल्प लाईन नंबर के प्रचार-प्रसार बाबत् फ्लाई परिवहनकर्ता वाहनों पर हेल्प लाईन नंबर उल्लेखित कराना अनिवार्य किया गया है जिसका पालन करना उद्योगों द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कलेक्टर सिन्हा ने किया नमन

रायगढ़। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आज यहां कलेक्ट्रेट में स्थापित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने उन्हें नमन किया। इस अवसर पर कलेक्टर सिन्हा ने महात्मा गांधी के देश की स्वाधीनता में दिए अमूल्य योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने सत्य, प्रेम और अहिंसा का मार्ग अपनाकर पूरे विश्व के सामने मिसाल कायम की। इस अवसर पर अपर कलेक्टर राजीव पाण्डेय, आयुक्त नगर निगम सुनील चंद्रवंशी, संयुक्त कलेक्टर डी.आर.रात्रे, डिप्टी कलेक्टर रमेश मोर, जिला शिक्षा अधिकारी बी.बाखला, अधीक्षक राजेश मेहरा, स्टेनो टू कलेक्टर सूरज खर्रा सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम कल, ट्रैफिक व पार्किंग प्लान जारी

रायगढ़। आप सभी आमजन, गणमान्य नागरिक, वाहन चालक/स्वामी एवं ट्रांसपोर्टरगण को सूचित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के ग्राम कोड़ातराई में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम दौरान वीआईपी सुरक्षा एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 04.10.2023 को प्रात: 08.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक क्रमश:

1 जोरापाली (खरसिया रोड)
2 धनागर (नंदेली रोड)
3 झारमुडा मेन रोड (पुसौर रोड)
4 तेतला (चंद्रपुर रोड)
5 इंदिरा विहार
6 चिराईपानी
7 लाखा (घरघोड़ा रोड)
8 बड़माल (रेंगालपाली रोड)

उपरोक्त पॉइंट से भारी वाहनों का प्रवेश/आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है एवं सामान्य यातायात /छोटे वाहन जैसे कार, जीप, टैक्सी व मोटरसाइकिल जिन्हें

1. रायगढ़ से रायपुर की ओर जाना हैए वे रायगढ़ से बिलासपुर मार्ग होते हुए रायपुर की ओर जा सकते हैं।

2. उड़ीसा/रेंगालपाली रोड से जिन्हें सारंगढ़ या रायपुर जाना है वह रेंगालपाली रोड से बड़माल लारा तिराहा होते हुए पुसौर बोरोडीपा चौक से थाना सरिया थाना बरमकेला होते हुए सारंगढ़ या रायपुर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं।

3 जिन वाहन चालकों को सारंगढ़ से रायगढ़ की ओर आना है वे चंद्रपुर से डभरा मार्ग होते हुए खरसिया से रायगढ़ आ सकते हैं।

4 नंदेली मार्ग से कार्यक्रम में आने वाले धनागर से पटेलपाली मार्ग या धनागर से कोड़ातराई मार्ग का उपयोग कर सकते हैं।

भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम में आने वाले सम्माननीय नागरिक एवं पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए पार्किंग व्यवस्था

यातायात विभाग द्वारा सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था के लिए क्रमश: पी-1 से पी-13 तक पार्किंग स्थल निर्धारित किया गया है

जिसमें पार्किंग पी-1, पी-2 वीआईपी वाहन पार्किंग एवं पी-3 वीआईपी वाहन पार्किंग व प्रेस मीडिया वाहन पार्किंग हेतु आरक्षित रखा गया है।।

पार्किंग पी-4, पी-6 से पी-13- आम जनता वाहन पार्किंग हेतु निर्धारित किया गया है।।

पार्किंग में आने हेतु निर्धारित रूट एवं पार्किंग

1 धरमजयगढ़, लैलूंगा, खरसिया की ओर से आने वाली बड़ी वाहने रायगढ़ से छातामुड़ा चौक होते हुए सहदेवपाली, पटेलपाली होकर कोड़ातराई हाई स्कूल के पीछे स्थित पार्किंग क्रमांक 13 में अपनी वाहन पार्क करें।।

2 बिलाईगढ़, सारंगढ़, चंद्रपुर से आने वाली वाहने बड़ेभंडार, सुपा, चिखली, तेतला होते हुए ग्राम सुर्री में निर्धारित पार्किंग क्रमांक 9 एवं 10 में तथा कोड़ातराई पार्किंग क्रमांक 11 एवं 12 में वाहन पार्क करें।

3 बरमकेला, सरिया की ओर से आने वाली बड़ी वाहने सूरजपुर, पड़ीगांव, माचिदा, ओड़ेकेला, पुसौर, तड़ोला, झारमुड़ा होकर पार्किंग क्रमांक 7 एवं 8 में अपनी वाहन पार्क करें।।

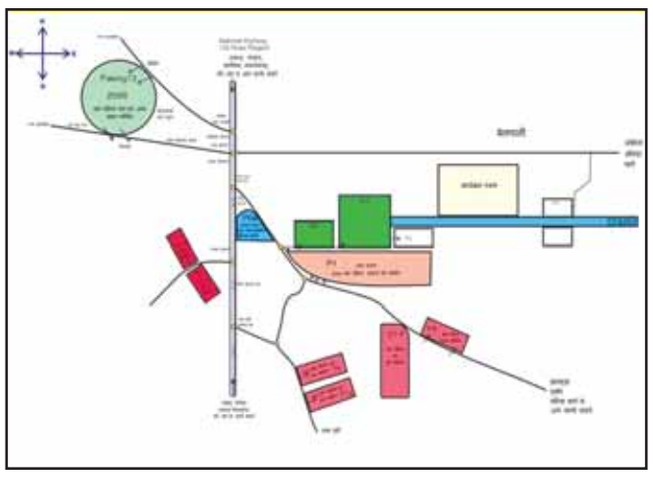

4 सभी तरफ से आने वाली दो पहिया वाहन पार्किंग क्रमांक 6 भागवत मैदान में पार्क करें।।

5 सभी तरफ से आने वाली पार्टी पदाधिकारी की चार पहिया वाहन कोड़ातराई कार्यक्रम स्थल पार्किंग क्रमांक 4 व 5 में पार्क करें।।

यातायात पुलिस रायगढ़ द्वारा तैयार किए गए यातायात रूट एवं पार्किंग प्लान का पालन करते हुए यातायात पुलिस को सहयोग प्रदान करने विनम्र अपील की जाती है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480